

फार्म

अचल संपत्ति विवरण का वर्ष 2016


प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 1983 निरंक (प्रथम नियुक्ति दिनांक 03/03/1983)

7
12

- 1 अधिकारी का पूरा नाम:- राजेश कुमार श्रीवास्तव
 2 वर्तमान धारित पद:- सहायक अभियंता (सिविल) पारेषण
 3 कार्यालय का नाम:- कार्यपालन अभियंता (अति उच्च दाब) निर्माण संभाग म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड भोपाल।
 4 वर्तमान वेतन:- 42430 + 7600 गृह) + (बेड पे) = 50030/-
 5 अविव्य निधि क्रमांक:- 23007008
 6 कर्मचारी संख्या 85399879

| उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है। | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, ग्रेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति | |
|--|---|----------------------------------|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| जिला - भोपाल तहसील - हुजूर नरेला शंकरी | म.न. बी-97 न्यू मिनाल रेसीडेन्सी जे. के.रोड, भोपाल भूमि का क्षेत्रफल 1260 वर्ग फीट में 2 मंजिला के 1921.50 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित है। | निरंक लगभग 60 लाख रुपये मात्र | स्वयं के नाम। | बिल्डर मेसर्स राज होमस से वर्ष 2006-07 में रुपये 14.00 लाख में क्रय किया गया। भवन के मूल्य रुपये 14.00 लाख मात्र में से रुपये 12.00 लाख का आवासीय ऋण पुच.डी.पुफ.सी. बैंक से प्राप्त कर एवं शेष 2.00 लाख स्वयं की बचत से क्रय किया गया। | निरंक (मंडल अधिकारी स्वयं ही इस भवन में निवासरत) | यह भवन वर्ष 2006 में रुपये 14.00 लाख में क्रय किया गया था परन्तु न्यू मिनाल रेसीडेन्सी क्षेत्र भोपाल में वर्तमान में प्रचलित बाजार-दरों के अनुरूप इसका वर्तमान मूल्य लगभग 60 लाख रुपये मात्र होता है। | |

स्थान: भोपाल
दिनांक: 23/12/2016

हस्ताक्षर: 
नाम:- राजेश कुमार श्रीवास्तव
पद:- सहायक अभियंता (सिविल)
अति उच्च दाब- निर्माण संभाग
म.प्र.पावर ट्रांस. कम्पनी लिमिटेड, भोपाल

कार्यपालन अभियंता
अति. उच्च दाब नि. संभाग-एक
म.प्र.पा. ट्रां.कं.लि., भोपाल-23

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- इसमें तत्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मंडल द्वारा आह्वय म.प्र.शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।